न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 04/2018

प्रार्थीगण– *बनाम* **अप्रार्थीगण–**

आम जनता ग्राम बायतु भोपजी
जरिये–

1. गिरधारी पुत्र लाभूराम
   जाति जाट
2. हीराराम पुत्र मांगीलाल
   जाति लुहार
3. राणाराम पुत्र मानाराम
   जाति लुहार
4. चौथी देवी पत्नी ईशराराम
   जाति दर्जी
5. लुम्भाराम पुत्र भंवराराम
   जाति दर्जी
6. शहीदखान पुत्र शकूर खान
   जाति मुसलमान (तेली)
   निवासीयान बायतु भोपजी
   पुराना गांव ग्राम पंचायत बायतु
   भोपजी, पं0स0 बायतु तहसील
   बायतु जिला बाड़मेर

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बायतु भोपजी पंचायत समिति बायतु तहसील बायतु जिला बाड़मेर
2. राकेश कुमार पुत्र किशनलाल जाति जैन निवासी बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध अनापत्ति प्रमाण–पत्र सं. .../2018 दिनांक 20.05.2018 जो ग्राम पंचायत बायतु भोपजी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:35 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश पूनड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निर्णय

दिनांक : 15.02.2021

1. प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बायतु भोपजी के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र संख्या /2018 दिनांक 20.05.2018 के विरूद्ध दिनांक 30.10.2018 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 ने अपने स्वामित्व के भूखण्ड पर मोबाईल कम्पनी का टॉवर लगाने हेतु ग्राम पंचायत बायतु भोपजी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्वामित्व एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने का निवेदन किया। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत बायतु भोपजी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के भूखण्ड की चतुर सीमाऐं अंकित करते हुए 30 गुणा 45 फिट का स्वामीत्व मानते हुए भूखण्ड पर रिलांयस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का टॉवर लगवाने बाबत अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 20.05.2018 जारी किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त स्वामित्व व अनापत्ति प्रमाण–पत्र की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी सं. 2 व प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

4. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत बायतु भोपजी द्वारा आलोच्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवासीय क्षेत्र की भूमि खसरा नम्बर 1139/44 बाबत पारित किया गया है, जो राजस्व रेकर्ड में बायतु भोपजी के नाम दर्ज है। अप्रार्थी सं. 02 ने उक्त भूखण्ड को आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजन में उपयोग लेने के लिये किसी भी सक्षम प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

से संपरिवर्तन आदेश नहीं लिया है क्योंकि मोबाईल टॉवर व्यवसायिक गतिविधि की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी सं. 02 ने अपने भूखण्ड का संपरिवर्तन करवाये बिना ही मोबाईल टॉवर लगाने के लिए गलत तथ्य पेश कर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करवा दिया है और ग्राम पंचायत द्वारा भी संपूर्ण मामले की बिना जॉच किये पारित किया है। आबादी क्षेत्र में मोबाईल टॉवर की अनापत्ति जारी करने से पूर्व आवासीय क्षेत्र में निवासरत स्थानीय लोगो व निगरानीकर्तागण के हितों की अनदेखी की गई है। मोबाईल टॉवर लगाने के लिए नियम व कायदों के अनुसार ऐसी भूमि पर लगाया जाना चाहिए, जो आवासीय क्षेत्र से दूर व आस पड़ोस में आबादी स्थित नहीं हो, मंदिर, स्कूल व अस्पताल से निर्धारित दूरी पर होना आवश्यक है। आलौच्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र जिस भूखण्ड के लिए जारी किया गया है, वहॉ निगरानीकर्तागण के आवासीय मकान बने हुए है तथा उसमें निवास कर रहे है। मोबाईल टॉवर से निकलने वाली हानिकारक विकिरणों से स्थानीय निवासीयों पर गंभीर बिमारीयों का प्रभाव पड़ेगा। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए आलौच्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के किसी भी प्रावधान व प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार की पत्रावली संधारित की गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (पंचायतीराज विभाग) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 4(16)दिशा–निर्देश/विधि/पंस/2016/325 दिनांक 19.04.2017 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं स्तर पर स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा किसी निजी भवन के विक्रय इत्यादि के संबंध में संबंधित पक्षकार को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे है, जो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में इस तरह के प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः ग्राम पंचायतों द्वारा उपरोक्तानुसार स्वामीत्व प्रमाण–पत्र अथवा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:35 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जावें। इस प्रकार ग्राम पंचायत बायतु भोपजी द्वारा शासकीय निर्देशों की अवहेलना करते हुए जो आलौच्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है व शून्य एवं निरस्त घोषित किया जावें।

5. अप्रार्थी सं. 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 01 द्वारा अप्रार्थी सं. 02 के पक्ष में जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 20.05.2018 पूर्व विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया गया है, जिससें प्रार्थीगण व आम जनता बायतु भोपजी के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा अपने भूखण्ड पर स्थापित किये जा रहें मोबाईल नेटवर्क टॉवर का उद्‌देश्य संपूर्ण ग्रामवासियों को बेहतर मोबाईल सेवा प्रदान करना है। उक्त मोबाईल टॉवर सरकारी मापदण्डों को मद्‌देनजर रखते हुए स्थापित किया जा रहा है, जिससें आम जनता को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा द्वेष भावना से अप्रार्थी सं. 01 व 02 को मात्र तंग व परेशान करने के उद्‌देश्य से उक्त निगरानी प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है, जो खारिज योग्य है।

6. अप्रार्थी सं. 02 के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि मोबाईल सेवा एक आवश्यक सेवा होने के कारण राज्य सरकार के शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश सं. एफ.10(147)यूडीएच/3/2008 पार्ट–3 दिनांक 06.02.2017 के बिन्दु सं. 03 में मोबाईल टॉवर की अनुमति हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तों के उपबिन्दु X में यह वर्णित किया है कि मोबाईल टॉवर एक अस्थाई संरचना है, जो आवश्यक सेवा की प्रकृति में आता है तथा इसे किसी भी प्रकार की भूमि/भवन पर स्थापित किया जा सकता है एवं इसके लिये भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र [illegible] एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी सं. 01 द्वारा अप्रार्थी सं. 02 के पक्ष में आवासीय भूमि पर मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, यदि आबादी क्षेत्र में मोबाईल टॉवर स्थापित किया जाता है तो ग्रामवासियों के स्वास्थय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 द्वारा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.02.2017 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें बिन्दु संख्या 3 के उप बिन्दु X में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि मोबाईल नेटवर्क टॉवर किसी भी प्रकार की भूमी/भवन पर स्थापित किया जा सकता है तथा इसके लिए भू–उपयोग परिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण का यह अभिकथन उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में मान्य योग्य नहीं है। इसके अलावा अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पंचायतीराज विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2017 की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है जिसमें ग्राम पंचायतों के द्वारा किसी भी प्रकार के स्वामीत्व व अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं करने की एडवायजरी जारी की गई है। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा अप्रार्थी सं. 02 के पक्ष में आवासीय भूमि पर मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, जो अप्रार्थी सं. 02 के आधिपत्य के भूखण्ड के उपयोग बाबत है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा मोबाईल टॉवर स्थापित करने के संबंध में पृथक से विनियम जारी किये जा चुके है। ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर से बिना प्रक्रिया का पालन किये अप्राधिकृत रूप से आलौच्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत बायतु भोपजी द्वारा जारी आलौच्य स्वामित्व एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 20.05.2018 को निरस्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:35 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

जाता है तथा अप्रार्थी सं. 02 को निर्देशित किया जाता है कि वे मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों एवं प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:35 IST
Reason: SelfAttested